उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-29/2020/75/92-2-2020-65एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 23 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

सांसद निधि योजनान्तर्गत मा0 श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व सांसद आवला की निधि से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को स्वीकृत 14 कार्यो के निर्माण कार्यों तथा टेण्डर प्रक्रिया की जांच आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मण्डल, बरेली से करायी गयी। टी0ए0सी0 की जांच में 11 निर्माण कार्यों में कुल रू0 2,96,734.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई जिसके लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-141/2019/2363/92-2-2019-65एम/2019, दिनांक 17.10.2019 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा को जॉच अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2653/92-2-2019-65एम/2019, दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र प्रेषित करते हुए जांच अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल आगरा को नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड हरदोई के पत्र संख्या-2738/ग्रा0अ0वि0/व्यक्तिगत-पत्रा0/2019-20, दिनांक 03.01.2020 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने विषयक पत्र में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आगरा के स्थान पर जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-29/2020/75(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी /अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आगरा से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल आगरा को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बदांयू सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।